राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

शीर्ष प्राथमिकता/निर्वाचन/फैक्स

संख्या 869/रा0नि0आ0-2/786/2007 दिनांक 02/08/2008

प्रेषक,

बिपिन चन्द्र चन्दोला,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग-2 देहरादूनः

विषयः-त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2008 में लाभ के पद के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु दिनांक 26.07.2008 को अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। दिनांक 05.08.2008 से दिनांक 08.08.2008 तक नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न होनी है तथा दिनांक 01.09.2008, 05. 09.2008 तथा 10.09.2008 को मतदान कराया जाना निश्चित है। इसी क्रम में विभिन्न स्तरों एवं जिला मजिस्ट्रेटस द्वारा पद लाभ का पद स्पष्ट करने के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जा रही हैं। आयोग स्तर पर इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा घोषित लाभ के पदों के सम्बन्ध में स्पष्टता नहीं है।

2. अतः उक्त परिपेक्ष्य में कहना है कि विभिन्न विभागों के पद यथा- मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्मिक, सहकारी समितियों के कार्मिक/पदाधिकारी, सस्ते गल्ला विक्रेता/मण्डी समितियां, संविदा कर्मी इत्यादि के सम्बन्ध में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा यदि अपने अधीनस्थ कार्यरत पदों के बार मे स्थिति स्पष्ट की गई हो तो जिला मजिस्ट्रेटों के उपयोगार्थ भिजवाने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय,
ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 869(1)/रा0नि0आ0 अनु0-2/786/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।